

पटना में दिनांक-08 अगस्त, 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

उद्योग विभाग

- मेसर्स दादीजी स्नैक्स प्रा०लि०, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

- मेसर्स ए0एफ0पी0 मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्रा० लि०, हाजीपुर, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।

2. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् (Bihar State Biodiversity Board) के कार्यालय के कार्यों के संचालन हेतु Scientific Officer cum Bio-spatial Analyst (वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषक) के 01 (एक) संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

- नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राघोपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गड़खा की स्थापना हेतु कुल 86 (छियासी) पदों का सृजन वित्तीय वर्ष 2023-24 में करने की स्वीकृति एवं रुपये 468.61 लाख (चार करोड़ अड़सठ लाख इकसठ हजार) की राशि प्रति वर्ष व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

4. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित) के नियम 5, 5क एवं 5ख में संशोधन के फलस्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2023 को लागू करने के संबंध में।

5. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

6. वित्तीय वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु राशि 409.33 करोड़ (चार सौ नौ करोड़ तैंतीस लाख) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 150.00 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये मात्र की प्रथम अनुपूरक आगणन से निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
6. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. पटना शहर के करमलीचक जोन में विश्व बैंक सम्पोषित एस०टी०पी० के अधिष्ठापन कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित परियोजना लागत सेंटेंज सहित रु० 98,59,79,000.00 (अठानवे करोड़ उनसठ लाख उनासी हजार रु० मात्र) जिसमें से केन्द्रांश के रूप में रु० 62,17,00,000.00 (बासठ करोड़ सत्रह लाख रु० मात्र) एवं राज्यांश की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी (सेंटेंज की राशि सहित) कुल रु० 36,42,79,000.00 (छत्तीस करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार रु० मात्र) का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन रु० 542,00,00,000/- (पाँच सौ बयालीस करोड़ रु० मात्र) की स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत।